



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
धुमाकोट (पौड़ी)



Office of the Executive Engineer National Highways, PWD Dhumakot Uttarakhand
Fax No. 01368-222319 Email-nhpwddhumakot@gmail.com

पत्रांक 811/05सी0
सेवा में,

दिनांक: 21/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन, वन प्रभाग
कोटद्वार।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 119/534 कि०मी० 139.00 से 196.00 कोटद्वार सतपुली दो लेन सड़क चौड़ीकरण हेतु वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/45326/2020

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक सं० 8बी/यू०सी०पी० /06/64/2022/एफ०सी/353 को दिनांक 14/06/2023 एवं आपका पत्रांक 232/12=1 दिनांक, कोटद्वार 20.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-

बिन्दु संख्या 1:- बिन्दु संख्या 01 के कम में अवगत कराना है कि कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा Muck Dumping area को forest land में पुनः 8.50 हे० से minimize करते हुए Muck Dumping area को Non forest land में चयनित किये जाने हेतु पुनः आदेशित किया गया था, जिसके अनुपालन में Muck Dumping हेतु Non Forest land आवंटित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल को आवेदन किया गया, जिसके पश्चात् कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल द्वारा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के माध्यम से Muck Dumping हेतु अपने पत्रांक संख्या 105/30-खनन-डम्पिंग अनु०(2022-23) पौड़ी दिनांक 16 अगस्त 2023 द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के अधीन निम्नलिखित गैर वन भूमि आवंटित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	खसरा न०	हे०
1	भदाली वल्ली	218	0.103
		220	0.873
2	सूलिया	2789	2.500
3	रामागांव	473	1.768
4	रोहणी मल्ली	726	3.656
5	ऐता	336	0.130
6	गोदी बडी	444	0.085
		449	0.093
		450	0.113 (नाप भूमि)
कुल गैर-वनभूमि			9.521

क्रमांक (6) में अंकित खसरा नं० 450 (निजी भूमि) के भू-स्वामी श्री सौरभ नेगी पुत्र मदन सिंह नेगी के द्वारा शपथ पत्र द्वारा Muck Dumping हेतु अनापत्ति दी गयी है। अतः अब वन व्यवर्तन प्रस्ताव का क्षेत्रफल का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र०स०	वन का प्रकार	क्षेत्रफल (हे०)	कुल वन प्रस्ताव क्षेत्रफल (हे० में)
1	आरक्षित वन	13.147	13.147
2	सिविल सोयम	9.259	9.259
3	वन पंचायत	1.770	1.770
कुल			24.176

बिन्दु संख्या 02- दिनांक 23.12.2022 को आहूत एफ०आर०सी०एम० की बैठक के कार्यवृत्त अनुसार बिन्दु संख्या 04 (Reclamation Plan) के अनुसार बिन्दु संख्या 02 में आपके स्तर से कार्यवाही की जानी है। वर्तमान में सम्पूर्ण Muck Dumping/मलबा निस्तारण की कार्यवाही बिन्दु संख्या 01 में उल्लेखित जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल द्वारा आवंटित भूमि एवं अन्य निजी भूमि (उपरोक्तानुसार क्रमांक 06 में उल्लेखित) पर की जा रही है।

संलग्न:- जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल द्वारा आवंटित भूमि हेतु पत्र।

11/08/2023
अधिसासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट-पौड़ी
दिनांक: /08/2023

पत्रांक /
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियन्ता स्तर- 1 राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि० देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता 10वां रा०मा०वृत्त लो०नि०वि० देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
धुमाकोट-पौड़ी

// आदेश //

अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग धुमाकोट नो पत्र संख्या- 690 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 119(534) (कोटद्वार- सतपुली-ज्वालपा-श्रीनगर) के 2-लेन में उन्नयन कार्य हेतु मलबा निस्तारण हेतु नोन फोरेस्ट लैण्ड (गैर वानिकी) भूमि चयनित कर Muck Dumping की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसके क्रम में उपजिलाधिकारी सतपुली के द्वारा अपने पत्र संख्या- 178 दिनांक 21 जुलाई-2023 के द्वारा एवं तहसीलदार कोटद्वार के द्वारा अपने पत्र संख्या-335 दिनांक 27.07.2023 के द्वारा उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के 2-लेन में उन्नयन कार्य हेतु मलबा निस्तारण हेतु निम्नानुसार भूमि चयनित कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

(1) तहसील सतपुली अन्तर्गत:- ग्राम सूलिया पट्टी लंगूर वल्ला-3 तहसील सतपुली के नोन जेड0ए0 खाता संख्या-9 खसरा संख्या- 2789 रक्वा 2.500 है0 भूमि जो कि श्रेणी9(3) ड. अन्तर्गत वंजर भूमि दर्ज कागजात है चयनित की गयी है। प्रस्तावित भूमि में कोई भवन, पेड, मन्दिर मस्जिद आदि धार्मिक स्थल नहीं है, चरागाह पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की भूमि आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि मलबा निस्तारण हेतु उपयुक्त पायी गयी है।

(2) तहसील कोटद्वार अन्तर्गत:- ग्राम रोहणी मल्ली पट्टी सीला-2 की नोन जेड0ए0 खाता संख्या- 04 खसरा संख्या 726 रक्वा 3.856 है0 श्रेणी 9-3ख(1), ग्राम रामागोंव पट्टी सीला-5 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या- 04 खसरा संख्या 473 रक्वा 1.768 है0 श्रेणी 9-3ड.(1), ग्राम भदाली वल्ली पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या- 08 खसरा संख्या- 218 रक्वा 0.103 तथा खसरा संख्या- 220 रक्वा 0.873 है0 श्रेणी 10(4), ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के जेड0ए0 खाता संख्या- 09 खसरा संख्या- 444 रक्वा 0.085 है0, खसरा 449 रक्वा 0.093 है0 तथा खसरा संख्या 450 रक्वा 0.113 है0, नाप भूमि तथा ग्राम ऐता पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या 03 के खसरा संख्या 336 रक्वा 0.130 है0 श्रेणी 9-3(ड.) है चयनित भुकी गयी है। उक्त जेड0ए0 नाप भूमि का सम्बन्धित भू-स्वामी श्री सौरभ नेगी पुत्र मदन सिंह नेगी के द्वारा शपथ पत्र/अनापत्ति दी गयी है।




उक्त सम्बन्ध में जिला खान अधिकारी, पौड़ी से आख्या प्राप्त की गयी। सहायक भूवैज्ञानिक/प्रा0 खान अधिकारी पौड़ी के द्वारा अपने पत्र संख्या-302 दिनांक 02.08.2023 में प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन उक्त चयनित भूमि पर कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को Muck Dumping की अनुमति दिये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी।

अतः उपजिलाधिकारी सतपुली/कोटद्वार एवं सहायक भूवैज्ञानिक/प्रा0 खान अधिकारी पौड़ी की उक्त आख्याओं के आधार पर अधिशाली अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लोक निर्माण विभाग धुमाकोट को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 119 (534)(कोटद्वार- सतपुली-ज्वालपा- श्रीनगर) के 2-लेन में उन्नयन कार्य के मलबा निस्तारण हेतु तहसील सतपुली के ग्राम सूलिया पट्टी लंगूर वल्ला-3 तहसील सतपुली के नोन जेड0ए0 खाता संख्या-9 खसरा संख्या- 2789 रक्वा 2.500 है0 भूमि जो कि श्रेणी 9(3) ड. की वंजर भूमि है एवं तहसील कोटद्वार के ग्राम रोहणी मल्ली पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार की नोन जेड0ए0 खाता संख्या- 04 खसरा संख्या 726 रक्वा 3.856 है0 श्रेणी 9-3ख(1), ग्राम रामागोंव पट्टी सीला-5 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या- 04 खसरा संख्या 473 रक्वा 1.768 है0 श्रेणी

9-3ड.(1), ग्राम भदाली वल्ली पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के नॉन जेडए0 खाता संख्या- 08 खसरा संख्या- 218 रक्वा 0.103 तथा खसरा संख्या- 220 रक्वा 0.873 है0 श्रेणी 10(4), ग्राम गोदी बड़ी पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के जेड0ए0 खाता संख्या- 09 खसरा संख्या- 444 रक्वा 0.085 है0, खसरा 449 रक्वा 0.093 है0 तथा खसरा संख्या 450 रक्वा 0.113 है0, 'नाप भूमि (संबन्धित की अनापत्ति के आधार पर) तथा ग्राम ऐता पट्टी सीला-2 तहसील कोटद्वार के नोन जेड0ए0 खाता संख्या 03 के खसरा संख्या 336 रक्वा 0.130 है0 श्रेणी 9-3(ड.) चयनित नोन फोरेस्ट लैण्ड (गैर वानिकी) भूमि पर Muck Dumping की निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

शर्तें/प्रतिबन्ध:-

1. स्वीकृत स्थल पर डम्प मैटेरियल द्वारा किसी भी दशा में वन सम्पदा/वन/वृक्ष पातन नहीं किया जायेगा/नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
2. उक्त चयनित स्थल पहाड़ी ढलानों पर अवस्थित है तथा चयनित क्षेत्रों के मक डिस्पोजल हेतु क्षेत्र की सुरक्षा एवं जनहित/समीप में अवस्थित जानमाल के सुरक्षा के दृष्टिगत प्रत्येक दशा में जमा किये जाने वाले मक को पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार ढलानों के रूप में एकत्रित किया जाना होगा।
3. चूँकि प्रस्तावित डम्प साइट्स के लिये तहसील प्रशासन कोटद्वार एवं सतपुली की चयन आख्याओं के अनुसार कुल क्षेत्रफल 6.5 है0 नॉन फोरेस्ट भूमि चयन कर प्रस्तावित की गयी है तथापि डी0पी0आर0 के आंकड़ों के अनुसार अवशेष उपखनिज मात्रा 5.73 लाख घन मी0 को उक्त चयनित क्षेत्र में पहाड़ी ढलानों पर औसतन 9.0 मी0 ऊँचाई तक डम्प किया जाना होगा। प्रत्येक दशा में मलबे को निचले/गदरों में जाने से रोकन हेतु उचित क्षमता की धारक दीवारों को अनिवार्य रूप से मक डिस्पोजन साइट्स के लम्बाई में प्रत्येक स्टेप/मक से बनाये जा रहे टैरस की आधार पर बनाया जाना अनिवार्य होगा।
4. सतही जल की निकासी डम्प क्षेत्र से बाहर सुरक्षा के दृष्टिगत अन्यत्र ढलानों की ओर की जानी होगी एवं उचित जल प्रबंध व्यवस्था बनायी जानी होगी।
5. डी0पी0आर0 के आंकड़ों के अनुसार प्रस्तावित रा0 राजमार्ग 119 के किमी0 125 से किमी0 136 के मध्य प्रस्तावित कटिंग कार्यों द्वारा 6.74 लाख घनमी0 उपखनिज मात्रा उल्खति/कटिंग से जनित होगी तथा फिलिंग उपयोगार्थ 1.01 लाख उपखनिज मात्रा के उपयोग उपरान्त कुल 5.73 लाख घनमी0 अवशेष उपखनिज वर्तमान में प्रस्तावित डम्प क्षेत्रों में एकत्रित किया जाना होगा। प्रस्तावित डम्पिंग साइट्स में कुल अवशेष उपखनिज मात्रा 5.73 लाख घनमी0 (1.01 लाख उपखनिज मात्रा फिलिंग में उपयोग उपरान्त कुल 5.73 लाख घनमी0 अवशेष) एकत्रित किये जाने के लिये उपरोक्तानुसार सुझावित बिन्दुओं को पूर्ण किया जाना होगा।
6. उक्त उपखनिज के उपयोगार्थ होने की दशा में पृथक से उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के प्राविधानानुसार अनुज्ञा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। नियमानुसार अनुज्ञा प्राप्त किये जाने के उपरान्त उपयोगार्थ उपखनिज की मात्रा के सापेक्ष देय रॉयल्टी, शुल्क अग्रिम रूप में निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक एवं निर्धारित अंशदान राशि अग्रिम रूप में निर्धारित बचत खाते में जमा कराये जाने के उपरान्त उपखनिज निकासी ई0पोर्टल के माध्यम से की जानी होगी।
7. बिना सक्षम अनुमति के निर्माण कार्यों से निकले उपखनिज को स्थल पर अवैध भण्डारित/स्थल से अवैध परिवहन किये जाने की दशा में खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 21 एवं 23 के उल्लंघन के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियमावली 2021 के



प्राविधानों के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही संबन्धित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अमल में लायी जायेगी।

8. उक्त अनुमति क्षेत्रान्तर्गत अवैध खनन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा, अवैध खनन पाये जाने पर नियमानुसार संबन्धित के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।




ह0/-
(डॉ० अशीष चौहान)
जिलाधिकारी, गढ़वाल।
दि० 09.08.2023

!! कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल !!
संख्या:-105/30-खनन-डम्पिंग अनु० (2022-23) पौड़ी दिनांक 16 अगस्त 2023

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून।
- 2- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन भोपालपानी देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पौड़ी गढ़वाल।
- 5- उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
- 6- उपजिलाधिकारी सतपुली/कोटद्वार।
- 7- जिला खान अधिकारी, पौड़ी।
- 8- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो०नि०वि० धुमाकोट।


प्रभारी अधिकारी,
कृते, जिलाधिकारी, गढ़वाल